न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,रानीवाडा, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाशचन्द्र अग्रवाल , आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 40 ⁄2021

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1. जगताराम 2. नरसीराम पिसरान नानजीजी जातियान मेगवंशी निवासीयान रूपावटी कलां तहसील रानीवाडा जिला जालोर		1. अजाराम 2. सुरताराम पिसरान हीराजी 3. देवाराम पुत्र जोराराम 4. गजाराम पुत्र नागजीराम कौम मेगवंशी साकिन रूपावटी कलां तहसील रानीवाडा 5. भुमिधारी तहसीलदार रानीवाडा 6. शाखा प्रबंधक एस.बी.आई शाखा रानीवाडा 7. शाखा प्रबंधक बैक ऑफ इंडिया शाखा रानीवाडा 8. शाखा प्रबंधक आर.एम.जी.बैक शाखा रानीवाडा तहसील रानीवाडा

अन्तर्गत धारा 111,128 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण अधिवक्ता श्री जबराराम पूरोहित।
2. अप्रार्थी संख्या 5 राजपेरोकार तहसीलदार रानीवाडा।

निर्णय

दिनांक – 28.04.2022

1. प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्व अंतर्गत धारा 111,128 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसके तथ्य संक्षेप में प्रार्थना पत्र के अनुसार इस प्रकार है कि मौजा रूपावटी कलां तहसील रानीवाडा में प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की खातेदारी आराजी नवीन खसरा नबंर 52 रकबा 2.73 हेक्टेयर, खसरा नबंर 53 रकबा 2.20 हेक्टेयर, खसरा नबंर 54 रकबा 1.20 हेक्टेयर, खसरा नबंर 55 रकबा 0.11 हेक्टेयर, खसरा नबंर 56 रकबा 0.15 हेक्टेयर जुमले रकबा 6.39 हेक्टेयर आई हुई है। उक्त आराजी की खातेदारी प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के नाम दर्ज है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की उक्त आराजी खसरा नबंर 53 व 52 के पश्चिम दिशा में अप्रार्थी संख्या 4 की खातेदारी आराजी नवीन खसरा नबंर 335⁄44 रकबा 1.43 हेक्टेयर आई हुई है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की उक्त आराजी व अप्रार्थी संख्या 4 की उक्त आराजी की सीमा को लेकर विवाद होने पर प्रार्थीगण द्वारा श्रीमान तहसीलदार रानीवाडा से उक्त आराजी की पैमाईश करवाने हेतु एक प्रार्थना पत्र पेश किया था। जिस पर तहसीलदार रानीवाडा द्वारा अपने आदेश क्रमांक 19 दिनांक 21.6.2021 के जरिये उक्त भुमि की पैमाईश करने के आदेश दिये गये थे, परन्तु मौके पर सीमा का विवाद होने से हल्का पटवारी धामसीन द्वारा दिनांक 20.7.2021 को तहसीलदार रानीवाडा के आदेश की पालना नहीं की जा सकी तथा प्रार्थीगण की उक्त आराजी का सीमाकंन विवाद होने से नहीं किया गया। अप्रार्थी संख्या 4 मौके पर सीमा को लेकर विवाद करता रहता है। इसलिये प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की आराजी खसरा नबंर 52, 53 की पैमाईश कर प्रार्थीगण की उक्त आराजी खसरा नबंर 52,53 व अप्रार्थी संख्या 4 की आराजी खसरा नबंर 335⁄44 के बीच की सीमा का सीमाकंन कर रखाई सीमा चिन्ह पत्थर गड्डी करवाने के प्रार्थीगण अधिकारी है, जिस हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.06.24 12:50:09 IST
Reason: SelfAttested

2. अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर श्रीमानजी से निवेदन है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की आराजी मौजा रूपावटी कलां तहसील रानीवाडा के नवीन खसरा नबंर 52 रकबा 2.73 हेक्टेयर, खसरा नबंर 53 रकबा 2.20 हेक्टेयर, खसरा नबंर 54 रकबा 1.20 हेक्टेयर, खसरा नबंर 55 रकबा 0.11 हेक्टेयर, खसरा नबंर 56 रकबा 0.15 हेक्टेयर जुमले रकबा 6.39 हेक्टेयर की पैमाईश कर प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की उक्त आराजी खसरा नबंर 52 व 53 तथा अप्रार्थी संख्या 4 की आराजी खसरा नबंर 335/44 के बीच की सीमा का सीमाकंन कर स्थाई सीमा चिन्ह पत्थर गडढ़ी करने के आदेश फरमावे।
3. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गए। अप्रार्थी संख्या 1 से 4, 6 से 8 की ओर से बाद तामिल नोटिस कोई उपस्थित नहीं होने से इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 5 भूमिधारी तहसीदार रानीवाडा द्वारा द्वारा जवाब नहीं देकर बहस की गई। प्रार्थीगण अधिवक्ता व राजपेरोकार की बहस सुनी गई।
4. पत्रावली मे पेश प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र व संलग्न दस्तावेज व प्रार्थीगण अधिवक्ता व अप्रार्थी संख्या 5 के बहस के तथ्यों पर मनन करने पर पाया कि प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 20.07.2021 को तहसीलदार रानीवाडा से सीमांकन करवाया गया। तथा तहसीलदार रानीवाडा ने बहस में सीमाविवाद होना स्वीकार किया। व प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत सीमाज्ञान मौका फर्द में भी मौके पर सीमाविवाद होना प्रतित होता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण मौके पर सीमा विवाद के समाधान हेतु पत्थरगढ़ी करवाना चाहते है। अतः उपरोक्त खसरा नम्बर 52, 53 व 335/44 के मध्य माठ वादग्रस्त होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतित होता है।

—: आदेश :—

5. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार रानीवाडा को आदेश दिया जाता है कि सरहद रूपावटी कलां पटवारी मण्डल धामसीन के खसरा नम्बर 52, 53 व 335/44 रकबा क्रमश 2.73, 2.20 व 1.43 हेक्टेयर की आराजी की पैमाईश कर सीमाज्ञान करवाकर पत्थर गड्डी हेतु एक कमेटी का गठन करवा कर 7 दिवस में पालना प्रस्तुत करें। एवं आप द्वारा गठित टीम को निर्देशित करें कि दोनों पक्षों को सूचित कर उनके रूबरू मोमियों नक्शा ट्रेस सहित लट्ठा नक्शा से पैमाईश करें, तथा सीमांकन कर पत्थर गड्डी करवायें। इस आदेश की पालना हेतु आदेश की प्रति तहसीलदार रानीवाडा को भेजी जावें। पक्षकारान अपना—अपना खर्चा वहन करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(प्रकाश चन्द्र अग्रवाल)
उपखण्ड अधिकारी
रानीवाडा जिला—जालोर

निर्णय आज दिनांक 28.04.2022 को मेरे द्वारा सरे इजलाज सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रानीवाड़ा जिला—जालोर

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.06.24 12:50:09 IST
Reason: SelfAttested